



राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
पंचायती राज

क्रमांक : एफ 165(7)ले.ब./परावि/एस.एफ.सी-पंचम/2016-17/

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,  
अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी,  
जिला परिषद-समस्त।

9064

जयपुर, दिनांक:- 05-01-2018

**विषय:-** पंचम राज्य वित्त आयोग द्वारा प्रस्तुत द्वितीय अन्तरिम रिपोर्ट वर्ष 2016-17 के अन्तर्गत की गई सिफारिशों के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं को देय अनुदान के उपयोग हेतु दिशा-निर्देश।

**प्रसंग:-** विभागीय पत्र क्रमांक एफ 165 (07)/ले.ब./परावि/एफ.एफ.सी.-पंचम/2016-17/19793-95 दि. 22.11.2016

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा पंचम राज्य वित्त आयोग अन्तर्गत पंचायती राज संस्थाओं को जारी की जाने वाली अनुदान राशि के उपयोग हेतु विभागीय दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। इन दिशा-निर्देशों के बिन्दु संख्या 'अ' xv में "ग्राम पंचायत एवं पंचायत समिति भवनों का निर्माण/रखरखाव/उन्नयन" पर व्यय को अनुमत किया गया है।

पंचम राज्य वित्त आयोग अन्तर्गत पंचायती राज संस्थाओं को जारी अनुदान राशि के उपयोग हेतु पूर्व में जारी किये गये विभागीय दिशा-निर्देश क्रमांक 19793-95 दिनांक 22.11.2016 की निरन्तरता में "(अ) मूलभूत एवं विकास कार्यों के लिए हस्तांतरित की जाने वाली 55 प्रतिशत राशि उपयोग हेतु दिशा-निर्देश" बिन्दु संख्या 2.xv में "ग्राम पंचायत एवं पंचायत समिति भवनों का निर्माण/रखरखाव/उन्नयन" के साथ जिला परिषद भवनों का निर्माण/रखरखाव/उन्नयन कार्य भी अनुमत किया जाता है। यह स्वीकृति वित्त विभाग की आई-डी संख्या 271700648 दिनांक 27.12.2017 द्वारा प्रदत्त सहमति के आधार पर जारी की जा रही है।

51-

(नवीन महाजन)

शासन सचिव एवं आयुक्त

जयपुर, दिनांक:- 05-01-2018

क्रमांक : एफ 165(7)ले.ब./परावि/एस.एफ.सी-पंचम/2016-17/  
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

9065-75

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
3. निजी सहायक, महालेखाकार, राज. जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. सदस्य सचिव, पंचम राज्य वित्त आयोग, प्रथम मंजिल बी ब्लॉक, वित्त भवन जनपथ, जयपुर।
6. निजी सहायक, निदेशक, स्थानीय निधि एवं अंकेक्षण विभाग, राजस्थान जयपुर।
7. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (ई.ए.डी.) विभाग, जयपुर।
8. समस्त लेखाधिकारी, जिला परिषद।
9. प्रोग्रामर, पंचायती राज विभाग, विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
10. रक्षित पत्रावली।

51

(रामावतार शर्मा)  
वित्तीय सलाहकार